8/A 1/B

राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी— भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 192/2015 तारीख रजू 04.12.15

रामनिवास पुत्र पून्या जाति मीना निवासी बडागांव कहार तहसील मलारना डूॅगर।

——अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलारना डूॅगर। ——रेस्पोडेन्ट

निर्णयः— दिनांकः— 11.02.17

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मलारना डूॅगर द्वारा मिसल संख्या 292/15 में पारित निर्णय 12.10.15 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बडागांव कहार के खसरा नम्बर 4484 रकबा 0.30 एयर किस्म भूमि चरागाह पर सम्वत् 2072 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित व फसल नीलामी करने के साथ—साथ अपीलार्थी को पूर्ववर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझोते की भावन से यह प्रकरण आज न्यायालय में रखा गया है। वकील अपीलान्ट उप0 एवं रेस्पोडेन्टस की और से पेरोकार सरकार उपस्थित।सुलह समझौते के तहत उभय पक्ष को सुना गया।

विद्वान् वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल है जो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में इस बार पर गौर नहीं फरमाया है कि विवादित खसरा नम्बर 4484 की आराजी अपीलान्ट को आवंटन की हुई सन 1974 की आवंटन भूमि है जिसका खसरा नम्बर 1826 था अपीलान्ट का उक्त भूमि पर सन 1974 से लगातार कब्जा चला आ रहा है और काश्त करता चला आ रहा है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कभी अतिक्रमण नहीं रहा बल्कि बतौर खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। अदालत मातहत ने बिना किसी स्वतंत्र गवाह के बयान लिये बिना ही आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.15 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत रूप से सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है, किन्तु अतिक्रमी द्वारा अदातल मातहत के मसक्ष अपनी आवंटन शुदा भूमि के संबंध में नतो आवंटन आदेश की प्रति पेश की गई नहीं वर्तमान खातेदारी संबंधी जमाबंदी पेश की गई है। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में कोई अनियमिता/अवैधानिकता नहीं होने से अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेराकार सरकार की बहस सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि वकील अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त विवादित भूमि अपीलार्थी को सन 1974 में आवंटन हुयी थी एवं आवंटन के समय उक्त भूमि के खसरा नम्बर 1826 थे उसके पश्चात 4484 बने है एवं आवंटन पश्चात से उक्त विवादित भूमि पर लगातार काश्त करता चला आ रहा है किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत बतौर जमाबंदी,मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे साबित हो सके कि विवादित भूमि के आवंटन के समय खसरा नम्बर 1826 रहे हो तत्पश्चात 4484 बने हो एवं उक्त विवादित भूमि अपीलार्थी को आवंटन हुयी हो। जहॉ तक पूर्ववर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में यद्यपि अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे किये अतिचार के संबंध मे अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक से प्रमाणित अतिक्रमण की रिपोर्ट जिसमें पूराना अतिचार होना अंकित है। किन्तु साक्ष्य बतौर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

10/A

पश्चातवर्ती के संबंध में न तो अदालत मातहत की पत्रावली में कोई बेदखल किये जाने बाबत बेदखली रिपोर्ट या पूर्व में पारित किये आदेश की छायॉ प्रति संलग्न है। ऐसी अवस्था में सृद्वढ अभिलेख तथा पश्चातवर्ती सबूतो के अभाव में पारित किया गया सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। चुकि अपीलार्थी उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक भावना से करवाना चाहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बेदखली ,शास्ति व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है तथा नायब तहसीलदार मलारना डूगंर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त सिविल कारावास के बिन्दु पर पुनः विधिवत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(श्याम मोहन शर्मा)
सदस्य

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर